



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 171
No. 171

नई दिल्ली, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2010, शनिवार/भाद्र 7—भाद्र 13, 1932
NEW DELHI, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2010, SATURDAY/BHADRA 7—BHADRA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

का.नि.आं. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) और सहायक तकनीकी (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) के पदों से है, उन बातों को सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधीन, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
3298 GH/2010

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा)	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचितविय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन- 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति : ऐसे सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव चिकित्सा) (वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए का वेतन बैंड और 5400 रुपए का ग्रेड वेतन), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अपर महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भंडार) —सदस्य
3. निदेशक या उध सचिव (सिविल कार्मिक) —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव चिकित्सा)	08* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन- 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

एक वर्ष

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंजीनियरी या तकनीकी डिग्री या समतुल्य;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव-चिकित्सा इंजीनियरी या तकनीकी डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

एक्स-रे और इलेक्ट्रोचिकित्सीय या जैव-चिकित्सा या सहबद्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव;

(8)

टिप्पण : 1-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण : 2-अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए अनु-भूषित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(11)

सीधे भर्ती द्वारा

(12)

लागू नहीं होता

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-

1. अपर महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सीय सेवा (उपस्कर और भंडार) —अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सीय सेवा —सदस्य
3. निदेशक या उप सचिव (सिविल कार्मिक), रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(14)

सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 11375/आरआर/एटीईओ एंड टीईओ/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/284/आरआर/रक्षा (नियुक्तियों)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th August, 2010

S.R.O. 38. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Armed Forces Medical Stores Depots (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1978 in so far as they relate to the posts of Technical Engineer Officer (Radiology) and Assistant Technical (Radiology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Engineer Officer (Bio-Medical) and Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) in the Ministry of Defence under the Director General, Armed Forces Medical Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Armed Forces Medical Stores Depots, Technical Engineer Officer (Bio-Medical) and Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Technical Engineer Officer (Bio-Medical)	01*(2010) *Subject to variation on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600- 39100+ Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Not applicable				Not applicable	Not applicable	

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

Promotion

Promotion :

Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) (In the pay Band of Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3) with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
1. Joint Secretary, Ministry of Defence	---Chairman
2. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores)	---Member
3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel)	---Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Technical Engineer (Bio-Medical).	08*(2010) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400.	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(8)	(9)	(10)
Essential : Degree in Engineering or Technology with Electronics from a recognised University or equivalent; Or Degree in Bio-Medical Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.	Not applicable	One year
Desirable : Two years practical experience in repair and servicing of X-Ray and Electromedical or Bio-Medical or allied electronics equipments.		

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

(8)

Note 2 : The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Confirmation :—	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.
1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) —Chairman	
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services —Member	
3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel), Ministry of Defence—Member	

[F. No. 11375/RR/ATEO & TEO/DGAFMS/DG-2B/284/RR/D (Appts)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम 1998 का, जहाँ तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'क' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में प्रशासनिक सहायक 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/बेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
-----------	----------------	----------	---------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक सहायक 'क'	759* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अरापत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन- रुपये 1900	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अभ्यर्थियों के मामले में, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्रारूप की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अर्वाध, यदि कोई हो
--	--	---------------------------------

(8)	(9)	(10)
-----	-----	------

आवश्यक :	आयु-- नहीं	दो वर्ष
(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	शैक्षिक योग्यता-- नहीं	
(2) अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की गति से टंकण मशीन पर टंकण की गति, या अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की गति से कम्प्यूटर पर टंकण की गति के लिए (10500 कोडी पी एच/9000 कोडीपीएच) प्रति मिनट 35 शब्द और प्रति मिनट 30 शब्द के अनुरूप प्रत्येक शब्द में के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा 85% और प्रोन्नति द्वारा 15%

(1) 10%, प्रोन्नत द्वारा ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से जो 1800 रु. ग्रेड वेतन में हो और जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ।

(2) 5%, प्रोन्नत द्वारा ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

प्रोन्नति : ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 10% जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की हो एवं श्रेणी वेतन 1800 रुपये के पद में 3 वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1. परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयु-सीमा 50 वर्ष)

टिप्पण 2. यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से कम ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं अधिक हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों के भरने में विचार होगा जिसमें पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाएगा जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं ।

(2) समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सहउपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नत द्वारा पांच प्रतिशत, जिन्होंने 1800 रुपये ग्रेड वेतन के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता ।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य स्थापना/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य

[मिसिल संख्या डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासन/सी/पी/03/2188/डी (आर एंड डी)]

एस के देब, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd August, 2010

S.R.O. 39 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3298 GI/10-3

2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Assistant 'A'	759* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200- 20200 + Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years. Note 1. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 2. The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) 12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University :</p> <p>(ii) Typing at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter, or</p> <p>Typing at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPI/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p>	<p>Age—No</p> <p>Educational Qualification—Yes</p>	<p>Two years</p>
<p>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made</p>	
(11)	(12)	
<p>Eighty five percent by direct recruitment and Fifteen percent by promotion</p> <p>(i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-</p>	<p>Promotion:—</p> <p>(i) Ten percent by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent and had rendered 3 years regular service in the grade.</p> <p>Note 1.—The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes).</p> <p>Note 2.—If more of such employees that the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at the later examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-.</p>	
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p>	
(13)	(14)	
<p>Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation consisting of:—</p>	<p>Not Applicable</p>	
<p>1. Head of the concerned Establishment or Laboratory—Chairman</p>		

(13)

-
- | | | |
|----|---|---------|
| 2. | Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory | —Member |
| 3. | An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment | —Member |
-

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03/2188/D(R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.